न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 93/2020

1. सुवा देवी पत्नि रंगलाल
2. सीताराम पुत्र रंगलाल
3. राधेश्याम पुत्र रंगलाल
4. सुशीला पुत्री रंगलाल
5. अनिता पुत्री रंगलाल
6. धापु पुत्री रंगलाल

सर्व जाति बैरवा सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र दयाल
2. कमलेश पुत्र दयाल
3. कान्ता देवी पुत्री दयाल
4. शिवराज पुत्र दयाल
5. मंगल पुत्र दयाल
6. रामदेव पुत्र कल्याण
7. धनराज पुत्र कल्याण

सर्व जाति यादव सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

8. बंशी पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत्।

दिनांकः 27/12/2024

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर — प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण कि संयुक्त सह–खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 412 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि ग्राम पाटन पटवार क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है। प्रार्थीगण कि खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में चारागाह/सरकारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

ख0नं0 415, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0नं0 399 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी भूमि ख0नं0 892/399, पूर्व दिशा में चारागाह भूमि ख0नं0 411 व अप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी भूमि ख0नं0 636/411 तथा पश्चिम दिशा में चारागाह भूमि ख0नं0 415 है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है तथा प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है, जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित ख0नं0 412 का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 को करवाया गया था। किन्तु अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं0 1लगायत 8 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यावाही कि गई। अप्रार्थी संख्या सं0 9 की ओर से जवाब पेश नही करने के कारण उनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि पर संयुक्त रूप से कृषि कार्य करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है तथा प्रार्थीगण की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा सीमाओं को लेकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपरोक्त वर्णित ख0नं0 412 का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2021 को करवाया गया था। किन्तु अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थीगण की सह–खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पाटन पटवार क्षेत्र पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 412 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है एवं सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 412 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि ख0नं0 412 रकबा 2.4270 हैक्टयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)